पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस विज्ञप्ति

विभिन्न थाना क्षेत्रों से वांछित में कुल 07 अभियुक्त एवं एन0बी0डब्लू0 में 02 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक–04-12-2023

दिनांक 03/04-12-2023 को रात्रि थाना गौतमपल्ली 02, गुडम्बा 01, इंटौजा 03, वजीरगंज 01 अभियुक्त एवं एन0बी0डब्लू0 में थाना नगराम 02 अभियुक्त गिरफ्तार। इस प्रकार वांछित में कुल 07 अभियुक्त एवं एन0बी0डब्लू0 में 02 अभियुक्त गिरफ्तार।

भा0द0वि0

थाना मड़ियांव–दिनांक 04.12.2023 को थाना मड़ियांव द्वारा बताया गया कि वादी श्री आशीष कुमार उर्फ रति पुत्र लाल बहादुर निवासी–29 शालीमार गार्डन 1एच आईआईएम रोड लखनऊ ने थाना मड़ियांव पर सूचना दिया कि आज दिनांक 04.12.2023 को समय करीब 08.00 बजे सुबह में वादी के पिताजी श्री लाल बहादुर अपनी स्कूटी से भिठौली तिराहे की तरफ गये थे जहां पर एक डम्पर नं0 यूपी 32 एनएन 3879 के चालक अज्ञात द्वारा डम्पर को तेजी व लापरवाहीपूर्वक चलाते हुए वादी के पिताजी के उक्त स्कूटी में टक्कर मार दिया जिससे वादी के पिताजी श्री लाल बहादुर उम्र करीब 55 वर्ष की मौके पर ही मृत्यु हो गयी। **इस सूचना पर थाना मड़ियांव पर मु0अ0सं0 665/2023 धारा 279/304ए भादवि का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।**

थाना काकोरी–दिनांक 04.12.2023 को थाना काकोरी द्वारा बताया गया कि वादी श्री राजू पुत्र स्व0 कालिका प्रसाद निवासी–ग्राम नेवलगंज कोतवाली हसनगंज जनपद उन्नाव ने थाना काकोरी पर सूचना दिया कि दिनांक 03.12.2023 को समय करीब 10.00 बजे रात्रि को वादी का भाई सजीवन लाल व राम सजीवन अपनी मोटरसाइकिल से शिवरी गये हुए थे। तिलक कार्यक्रम से वापस लौटते समय शिवरी तिराहे पर वादी के मामा श्री राकेश पुत्र रामस्वरूप खड़े हुये थे। वहीं पर रोड के किनारे वादी के भाई लोग अपनी मोटरसाइकिल सड़क के किनारे खड़ी करके मामा से बातचीत करने लगे तभी पीछे से लखनऊ की तरफ से आ रहे टैंकर नं0 यूपी 32 एयू 9539 चालक अज्ञात द्वारा टैंकर को तेजी व लापरवाही पूर्वक चलाकर वादी के उक्त मोटरसाइकिल में जोरदार टक्कर मार दिया, जिससे वादी के भाई राम सजीवन,सजीवन लाल व मामा राकेश गम्भीर रू‍प से घायल हो गये, जिन्हें जनता के लोगों ने गम्भीर रूप से घायल अवस्था में इलाज के लिए ट्रामा सेंटर लखनऊ में भर्ती कराया गया। दौराने इलाज वादी के मामा राकेश व सजीवन लाल की मृत्यु हो गयी और वादी के दूसरे भाई राम सजीवन का इलाज चल रहा है। **इस सूचना पर थाना काकोरी पर मु0अ0सं0 299/2023 धारा 279/337/338/304ए/427 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।**

<u>थाना ठाकुरगंज</u>– दिनांक 04.12.2023 को थाना ठाकुरगंज द्वारा बताया गया कि वादी श्री सफदर रिजवी पुत्र सै0 वजीर हैदर रिजवी निवासी–10ए/358 महताब बाग, हुसैनाबाद, थाना ठाकुरगंज लखनऊ ने थाना ठाकुरगंज पर सूचना दिया कि वादी व वादी के घर वाले दिनांक 28.11.2023 को किसी आवश्यक कार्य से शहर से बाहर गये हुए थे, इसी दिन रात्रि में समय करीब 02.20 बजे रात्रि को दो अज्ञात चोर वादी के उक्त घर का ताला तोड़कर अन्दर घुस गये। अज्ञात चोरों द्वारा वादी के घर के अन्दर रखी सभी आलमारियों का ताला तोड़कर उसमे रखे कीमती जेवरात नगदी को चोरी कर लिया गया है। वादी के घर में सीसीटीवी कैमरा लगा है। उक्त अज्ञात चोरों ने वादी के सीसीटीव कैमरों को भी नुकसान पहुंचाया है। उक्त कैमरा वादी के मोबाइल फोन से लिंक है । अगले दिन जब वादी के घर का कैमरा चलता हुआ नहीं दिखा तो वादी ने अपने चचेरे भाई आमिर रिजवी को फोन किया कि वादी के उक्त घर पर लगा कैमरा काम नहीं कर रहा है, वह जाकर देख ले तो इस पर दिनशंक 30.11.2023 को वादी का चचेरा भाई वादी क उक्त घर पर गया तो देखा कि वादी के उक्त घर का दरवाजा खुला हुआ है। वादी की पत्नी लखनऊ में ही अपने अपने मायके में थी। अज्ञात चोरों द्वारा वादी के उक्त घर से सोने व चांदी के कीमती जेवरात, 25000/–रूपये नगद व अन्य कीमती सामान को चोरी कर लिया गया है। **इस सूचना पर थाना ठाकुरगंज पर मु0अ0सं0 827/2023 धारा 457/380/427 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।**